नोट– उक्त साक्षी का प्रतिपरीक्षण आदेश पत्र में उल्लेखित आधार पर दिनांक 19.06.2026 को स्थगित रखा गया था । आज दिनांक 21.07.2026 को अंकित मिश्रा (अ.सा. 01) को पुनः शपथ दिलाकर उसका प्रतिपरीक्षण प्रारंभ किया गया ।

//प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री रमेश सिंह, अधिवक्ता वास्ते आरोपी संजय सिंह//

31. यह कहना सही है कि टेंडर जो मैं भरा था वह दिनांक 03.09.2024 को जारी हुआ था उक्त टेंडर के संबंध में टेंडर कमेटी बनी थी, टेंडर कमेटी एस.ई.सी.एल द्वारा बनाई गई थी । मुझे टेंडर कमेटी के सदस्यों की जानकारी नहीं है । यह कहना सही है कि उस कमेटी में स्टाफ ऑफिसर सिवल, जीएम ऑपरेशन तथा फाईनेंस मैनेजर उस कमेटी के सदस्य थे । अभियुक्त संजय सिंह सहायक अभियंता के पद पर पदस्थ था ।

32. यह कहना सही है कि आरोपी संजय सिंह की डयूटी टेंडर खुलने पर तुलनात्मक चार्ट बनाने का था । यह कहना सही है कि तुलनात्मक चार्ट तैयार कर अभियुक्त संजय सिंह की डयुटी थी उसे स्टाफ ऑफिसर सिवल अवनीष कुमार को अग्रेषित करे । यह कहना गलत है कि मेरी उपस्थिति में टेंडर खोला गया था परंतु मुझे इस बात की जानकारी है कि मेरा दर एल–1 था । यह कहना सही है कि टेंडर का दर मेरा एल–1 था इसलिये वह टेंडर मुझे ही प्राप्त हुआ था ।

33. यह कहना सही है कि आरोपी संजय सिंह की यह डयूटी थी वह तुलनात्मक चार्ट बनाकर स्टाफ ऑफिर सिवल अवनीष कुमार को अग्रेषित करे । यह कहना सही है कि आरोपी संजय सिंह टेंडर में आई दरों का तुलनात्मक चार्ट बनाकर स्टाफ ऑफिसर सिविल अवनीष कुमार को भेजा दिया था । अवनीष कुमार को टेंडर की फाईल कब प्राप्त हुई मुझे दिनांक की जानकारी नहीं है । यह कहना गलत है कि टीसीआर की फाईल अवनीष कुमार को प्राप्त होने के बाद अभियुक्त की भूमिका समाप्त हो जाती है ।

34. यह कहना सही है कि स्टाफ ऑफिसर सिविल के सिफारिश के बाद उक्त फाईल वित्त

विभाग में जाती है । यह कहना सही है कि वित्त विभाग से सिफारिश हो जाने के बाद टेंडर फाईल महाप्रबंधक ऑपरेशन के समक्ष जाती है । यह कहना सही है कि महाप्रबंधक ऑपरेशन के द्वारा कार्य आदेश ठेकेदार को प्राप्त होता है । यह कहना सही है कि टेंडर फार्म में दिया हुआ है कि टेंडर की कार्यवाही 120 दिन में पूरी की जायेगी । यह कहना सही है कि मैं टेंडर दिनांक से 120 दिन तक कार्य आदेश प्राप्त करने का इंतजार नहीं किया ।

35. यह कहना सही है कि मैं 60 दिवस में ही संजय सिंह के विरूद्ध एसीबी अंबिकापुर में शिकायत कर दिया । यह कहना सही है कि एसीबी को शिकायत करने के पूर्व मैं एस.ई.सी.एल के उच्च अधिकारी तथा एस.ई.सी.एल के सर्तकता विभाग में कोई शिकायत नहीं किया था । यह कहना सही है कि तुलनात्मक चार्ट बनने के पश्चात आगे की संपूर्ण कार्यवाही करने का भार टेंडर कमेटी के सदस्यों का होता है । साक्षी स्वतः कहता है कि आरोपी संजय सिंह ही टेंडर वाली फाईल सभी टेबलों पर स्वयं लेकर जाते हैं ।

36. यह कहना सही है कि एस.ई.सी.एल के प्रत्येक विभाग में डाक प्राप्त करने एवं डाक आगे भेजने का अलग टेबल है । मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि टेंडर होने के बाद फाईल को डाक से संजय सिंह ने अविनाश कुमार के पास भेज दिया था । साक्षी स्वतः कहता है कि संजय सिंह सभी फाईलों को व्यक्तिगत तौर पर स्वयं ही दूसरे टेबलों पर लेकर जाते हैं । यह कहना सही है कि टेंडर फाईल दिनांक 21.09.2024 को सिविल विभाग से जीएम ऑपरेशन को डिस्पेच हो गया था । साक्षी स्वतः कहता है कि उक्त टेंडर वाली फाईल संजय सिंह के टेबल से ही जप्त हुई थी उस समय मैं वहां मौजूद था।

37. यह कहना सही है कि जीएम ऑपरेशन के द्वारा टेंडर स्वीकार करने के बाद टेंडर फाईल पुनः सिविल विभाग में वापस आती है । मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि टेंडर फाईल दिनांक 24.09.2024 को वापस सिविल विभाग में आई थी । यह कहना गलत है कि एसीबी ने अभियुक्त संजय सिंह को बोला कि आप इस टेंडर से संबंधित फाईल लाकर मुझे दो । मुझे इस

बात की जानकारी नहीं है कि सारी टेंडर फाईल एसओ सिविल के अलमारी में रहती हैं ।

38. यह कहना गलत है कि मैं एस.ई.सी.एल के बैकुण्ठपुर, चिरमिरी, हसदेव के 40–50 टेंडरों में काम कर चुका हूॅ । साक्षी स्वतः कहता है कि 15–20 टेंडरों में मैंने काम किया है । यह कहना सही है कि इसलिये मैं टेंडर की संपूर्ण प्रक्रिया को समझता हूॅ । यह कहना सही है कि आरोपी संजय सिंह के अधीन मैं 05–06 टेंडरों का काम कर चुका हूॅ । यह कहना सही है कि पूर्व के 05–06 टेंडरों में संजय सिंह के अधीन् काम करते हुये मुझे कभी कोई परेशानी नहीं हुई है । यह कहना सही है कि उक्त पूर्व के 05–06 टेंडरों में काम करते हुये आरोपी संजय सिंह ने मुझसे कभी रिश्वत नहीं मांगी थी ।

39. यह कहना गलत है कि मैं पूर्व के कामों में एस.ई.सी.एल के अधिकारियों से यह चाहा हूॅ कि बिना कार्य किये एमबी में काम चढ़ा दिया जाये । यह कहना सही है कि गुलाब मिश्रा में बड़े पिताजी थे । यह कहना सही है कि जब गुलाब मिश्रा जीवित थे उस समय मेरा तथा अन्य चाचा लोगों का परिवार गुलाब मिश्रा के साथ संयुक्त रूप से कोरिया कॉलरी में रहते थे । यह कहना सही है कि गुलाब मिश्रा एस.ई.सी.एल के मजूदर यूनियन के बड़े नेता थे । यह कहना सही है कि उनकी पकड़ एस.ई.सी.एल मुख्यालय से लेकर सभी क्षेत्रीय मुख्यालय में था । यह कहना गलत है कि गुलाब मिश्रा की जीवनकाल में उनका बेनामी ठेका हम लोग के नाम से रहता था । यह कहना गलत है कि गुलाब मिश्रा का एस.ई.एस.एल के प्रत्येक दफतर में दबदबा था । साक्षी स्वतः कहता है कि वह मजदूरों के नेता थे और सभी दफतरों उनका जान पहचान था । यह कहना गलत है कि गुलाब मिश्रा के जीवन काल में हम लोग टेंडरों को लेने के बाद काम नहीं करते थे और एस.ई.सी.एल के अधिकारियों से जबरन हस्ताक्षर करा लेते थे । साक्षी स्वतः कहता है कि मैं उस समय पढ़ाई –लिखाई करता था ।

40. मेरे पिता श्री श्यामसुंदर मिश्रा भी एस.ई.सी.एल के कर्मचारी थे । यह कहना सही है कि मेरे पिता श्री श्यामसुंदर मिश्रा संजय सिंह के अधीनस्थ कोरिया कॉलरी में काम किये हैं । यह

कहना गलत है कि उस दौरान मेरे पिताजी का संजय सिंह से विवाद हुआ था । यह कहना गलत है कि मैं जहॉ भी काम किया हूॅ वहां मेरे मन मुताबिक एमबी में अधिकारी हस्ताक्षर नहीं किये तो मैं उनकी शिकायत करता हूॅ । यह कहना सही है कि हसदेव क्षेत्र में सिविल इंजीनियर द्विवेदी का भी मैं एस.ई.सी.एल के उच्च अधिकारियों के पास शिकायत किया हूॅ । साक्षी स्वतः कहता है कि रोका हुआ पैसे का भुगतान नहीं करते थे इसलिये मैं शिकायत करता था ।

41. यह कहना सही है कि मैं भवानी सिंह बिष्ट सिविल इंजीनियर के विरूद्ध एस.ई.सी.एल के उच्च अधिकारियों के पास शिकायत किया था । साक्षी स्वतः कहता है कि भवानी सिंह बिष्ट के विरूद्ध भी मेरी शिकायत की कार्यवाही की गई है । यह कहना गलत है कि हीरालाल द्विवेदी तथा भवानी सिंह बिष्ट के विरूद्ध एस.ई.सी.एल में कोई कार्यवाही नहीं की गई है । यह कहना सही है कि दोनों अधिकारी जहॉ पहले पदस्थ थे आज भी वहां पदस्थ हैं । साक्षी स्वतः कहता है कि मेरी शिकायत के बाद उनका यूनिट बदल दिया गया था क्षेत्र नहीं बदला था ।

42. यह कहना सही है कि सिविल कोर्ट मनेन्द्रगढ़ में अतिरिक्त कमरा बनाने का मेरा ठेका था । यह कहना सही है कि उक्त कार्य को देखरेख करने वाला छत्रपाल बंजारे उपयंत्री पीडब्लयूडी थे । यह कहना गलत है कि एसीबी के समक्ष मैंने बंजारे के विरूद्ध झूठी शिकायत किया है । यह कहना सही है कि मैं बंजारे के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष एसीबी के द्वारा पेश किया गया प्रकरण विचारधीन है । यह कहना सही है कि वर्तमान में मेरे पास कोई सिविल ठेका नहीं है । यह कहना गलत है कि मैं अदतन अधिकारियों का झूठी शिकायत करता हूॅ इसलिये मेरे पास कोई टेंडर नहीं है ।

43. यह कहना गलत है कि आरोपी संजय सिंह मेरे से रिश्वत की मांग नहीं किया । साक्षी स्वतः कहता है कि अभियुक्त संजय सिंह के द्वारा मुझसे यह कहा गया कि 11,000 रूपये दो तब टीसीआर प्रोसेस होगा और वर्क ऑर्डर भी जारी होगा । साक्षी से पूछे जाने पर कि अभियुक्त संजय सिंह के द्वारा रिश्वत की मांग कब की गई थी तब साक्षी का कहना है कि दिनांक

15.11.2024 के 04–06 दिन पूर्व रिश्वत की मांग की गई थी ।

44. साक्षी से यह पूछे जाने पर कि अभियुक्त संजय सिंह ने आपसे स्वयं के लिये रिश्वत की मांग नहीं किया गया । तब साक्षी कहता है कि 11,000 रूपये अभियुक्त संजय सिंह के द्वारा मांगा गया था जिसमें से 7,000 रूपये स्वयं के लिये और 4,000 रूपये जीएम के लिये मांगा था । साक्षी से यह पूछे जाने पर कि 11,000 रूपये की मांग कहॉ पर की गई थी । तब साक्षी कहता है कि अभियुक्त संजय सिंह के द्वारा अपने चेंबर में 11,000 रूपये की मांग की गई थी । साक्षी स्वतः कहता है कि उक्त मांग जब पहली बार की गई थी तब आरोपी संजय सिंह ने अपने चेंबर में मुझसे 11,000 रूपये की मांग की थी उस समय मेरे साथ कोई और नहीं था । मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि संजय सिंह के चेंबर के बगल वाले कमरे में कोई था या नहीं ।

45. यह कहना सही है कि संजय सिंह के चेंबर के बगल वाले कमरे में ठेकेदार लोग बैठते थे । जब संजय सिंह से अपनी चेंबर में पहली बार मुझसे रिश्वत की मांग की थी तब मेरे द्वारा उसका कोई वीडियो नहीं बनाया गया था । यह कहना गलत है कि उक्त दिनांक को मैंने संजय सिंह के चेंबर में जाने से पूर्व संजय सिंह चेंबर में उपस्थित है या नहीं उसकी जानकारी संजय सिंह से फोन पर ली थी । साक्षी स्वतः कहता है कि मैं सीधे संजय सिंह के ऑफिस में गया था तब पता लगा कि संजय सिंह चेंबर में है । संजय सिंह के चेंबर में मैं दोपहर 12.00 बजे के लगभग गया था ।

46. एस.ई.सी.एल के जीएम ऑफिस से पोड़ी थाने की दूरी लगभग 200–300 मीटर होगी । यह कहना सही है कि पोड़ी थाना में जाकर पैसा मांगने के संबंध में कोई शिकायत नहीं किया । जीएम ऑफिस का सबसे बड़ा अधिकारी मुख्य महाप्रबंधक है । यह कहना सही है कि मैं आरोपी संजय सिंह के द्वारा पैसा मांगने की शिकायत मुख्य महाप्रबंधक के पास नहीं किया । यह कहना सही है कि जीएम कार्यालय के मुख्य गेट पर सुरक्षा प्रहरी बैठता है जो जीएम

कार्यालय में आने–जाने वाले लोगों का नाम रजिस्टर में दर्ज कर हस्ताक्षर लेता है । साक्षी स्वतः कहता है कि जीएम कार्यालय के मुख्य गेट पर सुरक्षा प्रहरी बैठा रहता है लेकिन वह कोई रजिस्टर मेनटेन करके किसी का हस्ताक्षर नहीं कराता है । साक्षी कहता है कि जब एसीबी ने कार्यवाही की थी उस दिन के बाद से बराबर आने जाने वालों का नाम रजिस्टर में मेनटेन कर हस्ताक्षर कराता है । यह कहना सही है जो कर्मचारी एस.ई.सी.एल ऑफिस में आते है उनका बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज होती है ।

47. एसीबी को मैंने शिकायत दिनांक 15.11.2024 को किया था । यह कहना सही है मैं मनेन्द्रगढ़ में रहता हूॅ । यह कहना सही है कि एसीबी कार्यालय अंबिकापुर में है । मैं आरोपीगण की शिकायत एसीबी कार्यालय अंबिकापुर जाकर किया था । एसीबी कार्यालय में मुझे डीएसपी खेस मिले थे । यह कहना गलत है कि उनको मैंने मौखिक रूप से शिकायत की थी । साक्षी स्वतः कहता है कि टाईपशुदा शिकायत मैंने दिया था । यह कहना गलत है कि एसीबी कार्यालय में डीएसपी खेस स्वयं शिकायत तैयार कर मुझे दी थी । साक्षी से यह पूछे जाने पर कि एसीबी कार्यालय अंबिकापुर में है इस बात का जानकारी आपको कब से है । साक्षी का कहना है कि मैंने इंटरनेट पर सर्च किया था ।

48. यह कहना गलत है कि मैं एसीबी को शिकायत करने के बाद तुरंत वापस आ गया । साक्षी स्वतः कहता है कि मेरे शिकायत करने बाद एसीबी अधिकारी ने मुझे एक रिकार्डर दिया था तब मैं वापस आया था । यह कहना सही है कि उक्त रिकार्डर लेकर मैं अंबिकापुर से मनेन्द्रगढ़ आया था । यह कहना गलत है कि उक्त रिकार्डर चलाना मैं जानता था । साक्षी स्वतः कहता है कि एसीबी कार्यायल में एसीबी अधिकारियों ने मुझे रिकार्डर चलाना बताया था । यह कहना सही है कि दिनांक 15.11.2024 को रिकार्डर मुझे दिया गया था और दिनांक 16.11.2024 तक रिकार्डर मेरे पास था । साक्षी स्वतः कहता है कि दिनांक 16.11.2024 को मैंने रिकार्डर को एसीबी कार्यालय में जमा करा दिया था अब साक्षी कहता है कि रिकार्ड

करने के बाद रिकार्डर जमा करा दिया था ।

49. यह कहना गलत है कि दिनांक 16.11.2024 को संजय सिंह से मेरी बात फोन पर हुई थी । साक्षी स्वतः कहता है कि आमने सामने हुई थी । दिनांक 16.11.2024 को संजय सिंह से मेरी बात लगभग 11.00–11.15 बजे हुई थी । साक्षी स्वतः कहता है कि मैं जब जीएम ऑफिस गया था तब जीएम के बाउंड्री वॉल के अंदर साईकिल स्टेंड के पास ही आरोपी संजय सिंह से मेरी मुलाकात हो गई थी । यह कहना गलत है कि दिनांक 16.11.2024 को आमने सामने संजय सिंह से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई थी । यह कहना गलत है कि वाइस रिकार्डर में बाहरी आवाज बहुत आती है और आवाज बीच–बीच में ब्रेक हो जाती है । यह कहना सही है कि जो रिकार्डिंग मेरे द्वारा की गई थी वह मेरे द्वारा सुनी भी गई थी । साक्षी स्वतः कहता है कि दिनांक 21.11.2024 को मैंने सुनी थी ।

<u>नोट – मध्यान्ह चायकाल होने से साक्षी का प्रतिपरीक्षण स्थगित किया गया ।</u>

साक्षी को पढ़कर सुनाया गया,
सही होना स्वीकार किया ।
सही/–
(योगेश पारीक)
विशेष न्यायाधीश
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम
बैकुन्ठपुर, जिला कोरिया (छ.ग.)

मेरे निर्देश में टंकित ।
सही/–
(योगेश पारीक)
विशेष न्यायाधीश
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम
बैकुन्ठपुर, जिला कोरिया (छ.ग.)

गवाह के हस्ताक्षर

<u>नोट – चायकाल पश्चात साक्षी को पुनः शपथ दिलाकर उसका प्रतिपरीक्षण प्रारंभ किया गया ।</u>

50. यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा किये गये रिकाडिंग में संजय सिंह का आवाज नहीं है । यह कहना सही है कि मैंने वाइस रिकार्डर को दिनांक 16.11.2024 को एसीबी के डिप्टी एसपी खेस के पास जमा किया था । यह कहना सही है कि इस बीच वाइस रिकार्डर मेरे कब्जे में था । यह कहना गलत है कि वाइस रिकार्डर दिनांक 15–16 को मेरे कब्जे में व डिप्टी एसपी खेस के पास जमा करने के पहले मेरे पास था । यह कहना गलत है कि जब वाइस रिकार्डर मेरे कब्जे में

था तब मैं उसमें छेड़छाड़ किया था । यह कहना गलत है कि उसके पश्चात की कार्यवाही के बारे में मुझे जानकारी नहीं है । साक्षी स्वतः कहता है कि एसीबी के अन्य अधिकारियों को वहां बुलाया था विवेचना अधिकारी भी वहीं वहीं थे सामग्री को जप्त कर लिफाफे में सीलबंद कर दिये और अपने ऑफिस में रख लिये ।

51. यह कहना गलत है कि मैंने अपने मोबाईल से कार्यवाही की रिकार्डिंग की । यह कहना गलत है कि दिनांक 21.11.2024 को खेस साहब पेट्रोल पंप के पास आये थे और जेब से 11,000 रूपये निकालकर मुझे दिये थे । साक्षी स्वतः कहता है कि मैंने एटीएम से 11,000 रूपये निकाले थे । साक्षी से यह पूछे जाने पर दिनांक 21.11.2024 को आप पेट्रोल पंप के पास कैसे पहुंचे थे । साक्षी का कहना है कि दिनांक 20.11.2024 को मैंने खेस साहब को फोन किया था कि पैसे की व्यवस्था हो गई है तब उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंप के पास आकर मुझे दे जाना इसलिये मैं दिनांक 21.11.2024 को पेट्रोल पंप के पास पैसा उन्हें देने गया था । साक्षी अब कहता है कि खेस साहब ने कहा था कि दिनांक 21.11.2024 को पेट्रोल पंप के पास पैसे लेकर आना उसी दिन कार्यवाही होगी ।

52. मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि पेट्रोल पंप एसीबी के उप निरीक्षक विविध पाल सिंह का है । मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि पेट्रोल पंप पर उप निरीक्षक विविध पाल सिंह के पिताजी बैठते हैं । यह कहना गलत है कि दिनांक 16.11.2024 को संजय सिंह की डयूटी जीएम ऑफिस में नहीं थी । यह कहना गलत है कि दिनांक 16.11.2024 को संजय सिंह की डयूटी डोमनहील और कोरिया कॉलरी में थी । साक्षी स्वतः कहता है कि बाद में संजय सिंह वहां गये होंगे लेकिन सुबह मेरी मुलाकात जीएम ऑफिस के बाहर हुई थी । यह कहना गलत है कि प्रकरण में प्रस्तुत दिनांक 16.11.2024 का रिकाडिंग का लिप्यांतरण मेरे द्वारा तैयार किया गया था । साक्षी स्वतः कहता है कि दिनांक 21.11.2024 को एसीबी के समस्त अधिकारियों एवं पंच साक्षियों की उपस्थिति में रिकाडिंग को चलाकर लिप्यांतरण तैयार किया

गया था उसे कम्प्युटर में एक व्यक्ति के द्वारा लिखा गया था उस व्यक्ति का नाम मैं नहीं जानता हूँ । यह कहना सही है कि लिप्यांतरण के पूरे समय मैं वहीं मौजूद था । यह कहना गलत है कि लिप्यांतरण के किये जाने के समय ऑडियो की आवाज स्पष्ट नहीं थी और उसमें बहुत तरह की आवाजे आ रही थी । यह कहना गलत है कि ऑडियो में किसकी आवाज है यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा था जिस समय ऑडियो चलाया जा रहा था उस ऑडियो खेस साहब के कब्जे में था । साक्षी स्वतः कहता है कि पंच साक्षियों को सुनने के लिये दिये थे ।

53. ट्रेपिंग की कार्यवाही दिनांक 21.11.2024 को हुई थी । मैं आज स्पष्ट ठीक समय नहीं बात सकता कि किस समय मेरे द्वारा ट्रेपिंग की कार्यवाही के दौरान आरोपी को रिश्वती रकम दी थी । साक्षी स्वतः कहता है कि उस समय दोपहर का समय था । यह कहना सही है कि मेरे रिश्वती रकम देते समय कोई वीडियो रिकार्डिंग नहीं हुई थी । साक्षी स्वतः कहता है कि एसीबी वाले ने मुझे ऑडियो रिकार्डर दिया था जिसे मैंने रिश्वती रकम देते समय उपयोग किया था जिस समय मैंने रिश्वती रकम आरोपी की दी उस समय आरोपी के चेंबर में मेरे और आरोपी के अलावा और कोई नहीं था ।

54. यह कहना सही है कि आरोपी संजय सिंह के चेंबर के बगल में एक कमरा है । साक्षी स्वतः कहता है कि उस कमरे में उस समय कोई नहीं था । यह कहना सही है कि आरोपी संजय सिंह के चेंबर और कमरे के बीच में कॉच लगा है और एक दरवाजा भी है कॉच के आरपार दिखता है । यह कहना गलत है कि दिनांक 21.11.2024 को जब मैं संजय सिंह को रिश्वती रकम देने गया था उस समय संजय सिंह के चेंबर के बगल में कमरे में राकेश सिंह और अमित चट्टर्जी मौजूद थे । यह कहना गलत है कि उस समय मैंने स्वयं संजय सिंह के पॉकिट में नोट डाला था । यह कहना गलत है कि संजय सिंह के हाथ में मेरे द्वारा कोई रकम नहीं दी गई थी ।

55. यह कहना गलत है कि पैसे देते समय मेरे द्वारा कोई रिकार्डिंग नहीं की गई थी । साक्षी स्वतः कहता है कि ऑडियो रिकार्डर में मैंने उसे रिकार्ड किया था । साक्षी स्वतः कहता है कि

ऑडियो रिकार्डर मेरे जेब में था जो भी बातचीत हो रही थी ऑडियो में रिकार्ड हुई है । यह कहना गलत है कि मैंने जैसे ही नोट आरोपी के जेब डाला था उसी समय एसीबी वाले मौके पर पहुंच गये थे । यह कहना गलत है कि एसीबी वाले मेरे साथ ही मौके पर गये थे । यह कहना गलत है कि मैंने एसीबी को कोई इशारा नहीं किया था । यह कहना सही है कि दिनांक 21.11.2024 को जीएम ऑफिस के बाहर मैंने अपनी आमद रजिस्टर में दर्ज नहीं कराई थी । साक्षी स्वतः कहता है कि उस समय वहां आमद दर्ज करने के लिये कोई व्यक्ति बैठा नहीं था ।

56. यह कहना सही है कि जिस समय मैं रिश्वत देने के बात बता रहा हूँ उस समय जीएम ऑफिस में एसीबी के अधिकारी उपस्थित नहीं थे । साक्षी स्वतः कहता है कि भू–तल एवं प्रथम तल में एसीबी के अधिकारी मौजूद थे । यह कहना सही है कि पैसे देने की घटना प्रथम तल की है । यह कहना सही है कि आरोपी ने मेरे सामने मेरे दिये हुये पैसों को गिना नहीं था । यह कहना सही है कि रकम देने के पूर्व घटना स्थल पर मेरे द्वारा पैसा नहीं गिना गया था । यह कहना गलत है कि एसीबी के अधिकारियों से बात करके मैंने उन्हीं बातों को आरोपी संजय सिंह से पूछा था और उन्हीं बातों को रिकार्डिंग किया था ।

57. यह कहना सही है कि मैंने जिस मोबाईल से आरोपी संजय सिंह से एवं उप निरीक्षक विविध पाल सिंह से बात किया था उस मोबाईल को पुलिस ने जप्त नहीं किया था । यह कहना गलत है कि जब मैंने रिश्वती रकम आरोपी संजय सिंह को दी तो उसने मुझसे पैसे नहीं मांगे थे । साक्षी स्वतः कहता है कि चलो ठीक है कहकर रख लिया । यह कहना गलत है कि संजय सिंह ने दो कहकर रिश्वती रकम अपने दाएं हाथ से लेकर अपने पहने हुये जींस पैंट के दाएं तरफ पीछे के पॉकिट में नहीं रखी थी ।

58. यह कहना गलत है कि मेरे सामने आरोपी संजय सिंह ने एसीबी के अधिकारियों से यह नहीं कबूल किया था कि 7,000 रूपये मैं रख लिया हूँ और 4,000 रूपये आरोपी बी.श्रीनिवास को दे दिया हूँ । यह कहना गलत है कि संजय सिंह एसीबी की टीम के साथ

बी.श्रीनिवास के चेंबर में नहीं गया था । यह कहना गलत है कि संपूर्ण के कार्यवाही के समय विविध पाल सिंह मौके पर उपस्थित नहीं था । यह कहना गलत है कि आरोपीगण का पैंट एसीबी वालों ने जप्त नहीं किया था । साक्षी से यह पूछे जाने पर जब आरोपीगण का पैंट एसीबी ने जप्त कर लिया तब आरोपीगण क्या पहना था । साक्षी का कहना है कि एसीबी ने मार्केट से दो पैंट मंगवाया था और दोनों आरोपी को पहनने के लिये दिया था ।

59. यह कहना गलत है कि कार्यवाही के पूर्व मेरी जामा तलाशी नहीं ली गई थी । साक्षी स्वतः कहता है कि मेरी जेब 11,000 रूपये रखे थे तब एसीबी के अधिकारियों ने मेरी जामा तलाशी ली थी । यह कहना गलत है कि मेरी उपस्थिति में एसीबी के अधिकारियों ने कोई घोल तैयार नहीं किया था । साक्षी से यह पूछे जाने पर कि कितनी शीशी घोल तैयार किया गया था । साक्षी का कहना है कि बहुत सारी शीशी तैयार घोल रखी हुई थी । साक्षी से यह पूछे जाने पर कितने प्रकार का घोल था । साक्षी का कहना है कि एक गुलाबी घोल था,कुछ में सादा पानी था,कुछ में रंगहीन द्रव्य भरा हुआ था । यह कहना गलत है कि जितने भी घोल तैयार थे कार्यवाही के पश्चात उन्हें सीलबंद नहीं किया गया था ।

60. यह कहना गलत है कि एसीबी के अधिकारियों से मिलकर मैं आरोपी संजय सिंह को फंसाने के लिये झूठा मामला बनवाया हूॅ । यह कहना गलत है कि मैंने एसीबी के अधिकारियों से मिलकर आरोपी संजय सिंह के विरूद्ध इसलिये मामला बनवाया है ताकि दूसरे अधिकारी भी डर का मेरे न किये गये कार्यों के लिये भी एमबी में दर्ज कर कुट रचित बिल तैयार कर सकू ।

साक्षी को पढ़कर सुनाया गया,
सही होना स्वीकार किया ।

मेरे निर्देश में टंकित ।

सही/-
(योगेश पारीक)
विशेष न्यायाधीश
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम
बैकुन्ठपुर, जिला कोरिया (छ.ग.)

सही/-
(योगेश पारीक)
विशेष न्यायाधीश
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम
बैकुन्ठपुर, जिला कोरिया (छ.ग.)

गवाह के हस्ताक्षर